न्यायालय जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नामः—प्रकाश राजपुरोहित

प्रकरण संख्या 59/2016 विविधि

1.रणवीर पुत्र वेद प्रकाश जाति जाट निवासी खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2.सुरेन्द्र पुत्र वेद प्रकाश नाबालिग जरिये कुदरती वली माता बिमला पत्नी वेद प्रकाश जाति जाट निवासी खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3.बिमला पत्नी वेदप्रकाश जाति जाट निवासी खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

——प्रार्थीगण

बनाम

1.अमरनाथ अग्रवाल, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर एंव उपखण्डाधिकारी रावतसर तहसील रावतसर।
2.काशीराम पुत्र श्री जसुराम जाति जाट निवासीयान खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3.शिशपाल पुत्र श्री काशीराम जाति जाट निवासीयान खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
4.शारदा पुत्री काशीराम जाति जाट निवासीयान खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
5.बिमला पुत्री काशीराम जाति जाट निवासीयान खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
6.भागीरथ पुत्र श्री जसुराम जाति जाट निवासीयान खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
7.कालूराम पुत्र श्री जसुराम जाति जाट निवासीयान खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
8.श्रीराम पुत्र श्री जसुराम जाति जाट निवासीयान खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
9.मनीराम पुत्र श्री जसुराम जाति जाट निवासीयान खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
10.सन्तराम पुत्र श्री जसुराम जाति जाट निवासीयान खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

जिला कलक्टर
हनुमानगढ

11.गुड्डी पत्नी कृष्ण लाल जाति जाट निवासीयान
खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
12.दुर्गा पुत्री कृष्ण लाल जाति जाट निवासीयान
खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
13.सुनीता पुत्री कृष्ण लाल जाति जाट निवासीयान
खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
14.रामप्रताप पुत्र कृष्ण लाल जाति जाट निवासीयान
खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
15.सोहन लाल पुत्र कृष्ण लाल जाति जाट निवासीयान
खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
16.साहब राम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासीयान
खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
17.ख्यालीराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासीयान
खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
18.रजीराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासीयान
खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
19.बृजलाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासीयान
खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
20.गुड्डी पत्नी भींयाराम जाति जाट निवासीयान
खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
21.औम प्रकाश पुत्र भींयाराम जाति जाट निवासीयान
खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
22.उग्रसैन पुत्र भींयाराम जाति जाट निवासीयान
खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
23.सीमा पुत्री भींयाराम जाति जाट निवासीयान खेदासरी
तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
24.गायत्री पुत्री भींयाराम जाति जाट निवासीयान
खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
25.मालाराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासीयान
खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
26.मन्शाराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासीयान
खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
27.रामेश्वर पुत्र भूराराम जाति जाट निवासीयान खेदासरी
तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
28.मामराज पुत्र भूराराम जाति जाट निवासीयान
खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
29.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर
तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

——अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर
हनुमानगढ

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 आर टी ए
बाबत पत्रावली अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण

उपस्थितः—1.श्री राम कुमार कस्वां वकील प्रार्थीगण
2.श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अधिवक्ता
स्टेट की ओर से
3.श्री लाल चन्द वर्मा वकील अप्रार्थी संख्या
2 ता 5

आदेश दिनाकः—08.03.2017

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार है कि हम प्रार्थीगण का डाक पता उपरोक्त शीर्षक में अंकित है जो सही है। हम प्रार्थीगण का एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 आर.ओ.ए. का सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर बअनुवानी रणवीर आदि बनाम काशीराम आदि प्रकरण संख्या 93/2014 विचाराधीन है जिसमें आगामी पेशी वास्ते बहस 28.11.2016 निर्धारित हैं अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 /प्रतिवादीगण राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है जो स्थानीय विधायक महोदया से अप्रार्थी संख्या 1 पर निरंतर दबाव डलवाकर वाद पत्र का निर्णय अपने पक्ष में करवाना चाहते है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थीगण संख्या 2 से 5 के दबाव में आकर वाद पत्र का निर्णय आगामी पेशी 28.11.2016 को बहस सुनते ही तुरंत उसी दिन अप्रार्थीगण के पक्ष में करेगे व प्रार्थीगण के खिलाफ करने पर उतारू है तथा प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 2 से 5 को अप्रार्थी संख्या 1 के चैम्बर में भी विधायक महोदया के साथ अक्सर आते जाते देखा है। जिससे हम प्रार्थीगण को संख्या 1 से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नही है तथा अप्रार्थी संख्या 2 से 5 हम प्रार्थीगण को धमकी दे रहे है कि सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी महोदय रावतसर हमारे कहने अनुसार ही बहस सुनते ही उसी दिन हमारे पक्ष में निर्णय पारित करेगे हमारी अधिकारी से बात हो गई है तुम्हे जो करना है करो। अप्रार्थी संख्या 1 पूर्व में भी भ्रष्टाचार के मुकदमो में संलिप्त रह चके है व निलम्बित भी हो चुके है। ऐसी सूरत में अप्रार्थी संख्या 1 से हम प्रार्थीगण को न्याय मिलने व सही निर्णय होने की संभावना नही है यदि अप्रार्थी संख्या 2 से 5 अपने इस अनुचित मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णिय क्षति होगी तथा न्याय से वंचित हो जावेगे। अप्रार्थी संख्या 1 के न्यायालय में लम्बित प्रकरण रणवीर आदि बनाम काशीराम आदि प्रकरण संख्या 53/2014 अन्यत्र सम्बन्धित राजस्व न्यायालय में स्थानान्तरित फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया। उपखण्ड अधिकारी रावतसर से टिप्पणी मंगवाई गई। अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

वकील उभय पक्ष उपस्थित। दोनो पक्षो के वकीलो की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 राजनैतिक पहुंच

जिला कलक्टर
उपखण्ड

वाले व्यक्ति है जो अप्रार्थी संख्या 1 पर निरंतर दबाव डलवाकर वाद पत्र का निर्णय अपने पक्ष में करवाना चाहते है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 से 5 को अप्रार्थी संख्या 1 के चैम्बर में आते जाते देखा है। अप्रार्थी संख्या 2 से 5 द्वारा प्रार्थीगण को धमकी दे रहे है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा हमारे कहने के अनुसार ही पत्रावली में बहस सुन कर निर्णय हमारे पक्ष में पारित कर देगे। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रश्नगत प्रकरण को अन्यत्र सक्ष्म न्यायालय को स्थानान्तरण करने के आदेश फममाये जावे।

स्टेट की ओर राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोप गलत होने के कारण स्वीकार योग्य नही है। प्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरणो में देरी करने के उद्धेश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 के अभिभाषक अपनी बहस में कथन किया कि वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण पर लगाये गये आरोप केवल काल्पनिक आधार पर लगाये गये है जो मिथ्या व निराधार है। प्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में देरी करने के उद्धेश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। वकील अप्रार्थीगण ने अपने कथनो के समर्थन में सीसीसी 2014(Suppl) पेज 808 न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण करवाने के संबंध में है। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर रावतसर के जबाव का अवलोकन करने से प्रार्थीगण द्वारा उन पर लगाये गये आरोप को पीठासीन अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया जाना पाया गया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में जो आरोप लगाये गये है उनके सम्बन्ध में कोई ठोस साक्ष्य पेश नही किये हैं। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत विचाराधीन प्रकरण के स्थानान्तरण के बिन्दु पर विचार किया जाना उचित नही समझते है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी रावतसर को यह निर्देश दिये जाते है कि वे प्रश्नगत प्रकरण में न्यायिक प्रकिया को अपनाते हुए समुचित कार्यवाही करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी रावतसर को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

आदेश आज दिनाक 08.03.2017 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़
हनुमानगढ़